THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Dasgupta, will you please be brief? I cannot allow you to speak like this.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, I have to run.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then, you please run.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Then, you please run.

DR. BIPLAB DASGUPTA: In the whole world, I have never come across an election being conducted in such a manner where the election Commission decides from where the candidates should address the public meetings ....(*Interruptions*).... It is absurd. It cannot be done. Similarly, the Election Commission proposes that by November, all the States must print the identity cards. It is something which can never be conformed to. It is not possible. I would like to suggest to the Government to look into these two things because these are things of public importance.

Mass Agitation in Hill Areas in Uttar Praedesh

उपसभापति: राजनाथ सिंह जी आपका स्पेशल मेंशन तो यहां हो चुका है।

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): आंदोलन से एक नया आयाम जुड़ गया है इसलिए दो मिनट का टाइम लूंगा।

हमारे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी आरक्षण के विषय को लेकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र इस समय व्यथित भी हैं और आंदोलित भी हैं निस्संदेह यह मामला जहां पर संवेदनशील है वहां पर यह ज्वलंत भी है। पड़ोसी जनपदों में भी आंदोलन तेजी के साथ फैल रहा है। इस आंदोलन के साथ जो एक नया आयाम जुड़ गया है वह इस क्षेत्र में रहने वाले राज्य कर्मचारियों के आंदोलन में शरीक होने के कारण इस आंदोलन को एक नया आयाम मिला है। किस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को आहत हुई है इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देहरादून में 500 नागरिकों ने अपने जिस्म के खून से हस्ताक्षर करके महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था पर्वतीय क्षेत्र में की गई है इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे मेरीटोरियस स्टुडेंट्स को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल रहा है। यह व्यवस्था कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में समाप्त की जानी चाहिए। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है हमारी पार्टी मानती है कि आरक्षण की आज एक सामाजिक आवश्यकता है। आरक्षण को संवैधानिक और कानूनी माण्यता भी मिली है। इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को और हमारी भारत सरकार को इस मामले को जितनी गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए यह सरकार नहीं ले रही है। उलटे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक ऐसा भडकाउ बयान जारी कर दिया कि यदि हम चाहें उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में.....

उपसभापति: यह बात हो चुकी है। इस हाउस में इस बात को बार-बार नहीं कहिये।

श्री राजनाथ सिंह: सरकार में एक दल जिसकी भागदारी है उस दल के नेताओं ने कहा है इस आंदोलन में जो लोग शरीक हैं यदि उन्हें देशद्रोही कहा जाए तो यह अतिश्योक्ति नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इस आंदोलन को शांत करने के लिए संयम से काम लेना चाहिए।

उपसभापति: आपने दो मिनट मांगे थे, दो मिनट दे दिये।

श्री राजनाथ सिंह: व्यापार में बने रहने वाले लोग बराबर अपने बयानों के द्वारा .... (**व्यवधान**)

उपसभापति: आपका हो गया, आप बैठ जाइये।

श्री राजनाथ सिंह: ज्यादा न कहते हुए इतना निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार के प्रधान मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करने वाले हैं, ऐसी जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है। आंदोलन क्योंकि तेजी से बढ़ता जा रहा है इसलिए शीघ्रतिशीघ्र उन्हें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

उपसभापति: माथुर जी संक्षेप में बोलिए, बहुत लेट हो गये हैं।

Appointment of wage Board for Journalists

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं पत्रकारों के लिए और समाचारपत्रों में काम करने वाले अन्यों के लिए शीघ्रातिशीघ्र वेज बोर्ड अपाएंट करने की मांग को दोहराना चाहता हूं। 1992 की अगस्त में इस मांग को स्वीकार किया गया था। 1993 की फरवरी में केबिनेट ने इसको स्वीकार किया था। केबिनेट के डिसीजन के बाद घोषणा सरकार बारबार करती रही लेकिन अभी भी

जर्नलिस्टों के लिए वेज बोर्ड नियुक्त नहीं किया गया है। पिछली बार वेज बोर्ड 1985 में नियुक्त किया गया था जिसकी रिपोर्ट 1989 में आई। तब से जमाना बदल गया है। जब निर्णय सरकार ने कर लिया है वेज बोर्ड की स्थापना करने का तो उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं अगले महीने कम से कम वेज बोर्ड की नियुक्ति होगी क्योंकि सारे काम पूरे हो चुके हैं, जर्नलिस्ट्स यूनियन से नाम आ गये हैं, चेयरमैन कौन होगा इस पर डिसक्शन हो चुका है लेकिन घोषणा मात्र बाकी है। मैं समझता हूं इस माह के अंत में जर्नलिस्टों के पांचवें वेज बोर्ड की घोषणा सरकार करेगी। अगर नहीं कर रही है तो बतायें क्यों नहीं कर रही है। आज कोई कारण नहीं है, क्योंकि अन्यों के लिए कमीशन बनाये जा रहे हैं, जर्नलिस्टों के लिए वेज बोर्ड स्थापित न हो। मैं आग्रह करूंगा, सदन के नेता चव्हाण साहब यहां बैठे हुए है, जब सरकार वेज बोर्ड बनाने का फैसला कर चुकी है, सब कुछ हो चुका है तो देर न कीजिए, जल्दी से जल्दी कराइये।

उपसभापति: नरेश यादव जी, एक मिनट में बोल दीजिए हाई-वे के बारे में।

Non-inceasing the length of Highways in Bihar since two decades

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभापति महोदया, देश के यातायात एवं संचार प्रणाली में राष्ट्रीय उच्च पथ की महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन दुख के साथ विशेष उल्लेख के जरिये बिहार में हो रही घोर उपेक्षा की ओर आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, पिछले 20 सालों में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लम्बाई सुई की नोंक के बराबर भी वृद्धि नहीं हुई जबकि देश के अन्य राज्यों में कई हजार किलोमीटर का विस्तार हुआ।

बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लम्बाई 2118 किलोमीटर है जिसमें वर्ष 1994 के बाद रत्ती भर की भी वृद्धि नहीं हो पायी है। पंचम पंचवर्षीय योजना से ही भारत सरकार के जल-भूतल एवं परिवहन मंत्रालय से संपर्क रखा जा रहा है एवं इसके विस्तार की मांग की जाती रही है लेकिन आज तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य सरकार ने 1445 किलोमीटर उच्च पथ के विस्तार की मांग की है जो ठण्डे बस्ते में पड़ा हुआ है। उसमें प्रमुख मार्ग लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर, बक्सर, आरा पटना, भागलपुर, साहब गंज, फरक्का जो पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय उच्च पथ 34 को जोड़ता है, बिहार में इसकी लम्बाई 420 किलोमीटर पड़ती है। यह आदिवासी इलाका वर्षों से उपेक्षित है। दूसरा, गोविन्दपुर, जामतारा, दुमका, भागलपुर, बिहपुर एवं बीरपुर मार्ग 335 किलोमीटर बिहार में पड़ता है जो राष्ट्रीय उच्च पथ में शामिल किया जाना है। कोड़ा, कटिहार, मालदह, हरिश्चंद्रपुर मार्ग मात्र 65 किलोमीटर है, जो अधर में लटका हुआ है जिसके निर्माण से बंगाल से सीधा संपर्क बिहार का हो जाएगा। पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी 135 किलोमीटर है। मुजफ्फरपुर, फारबिसगंज, दरभंगा, अररिया, गलगलिया जो नेपाल एवं बिहार का सीमा क्षेत्र पड़ता है, 145 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ में शामिल करने की अनुशंसा भी आज तक अधर में लटकी हुई है। परिणामस्वरूप बिहार का विकास, यातायात एवं संचार के मामले में बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है।

अत: मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान बिहार राज्य की हो रही घोर उपेक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ में वृद्धि की जाए जिससे यातायात एवं संचार प्रणाली में सुधार हो सके एवं बिहार का विकास हो सके। आपने मुझे सत्र के अंतिम दिन बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उप सभापति : थैंक्यू, आप बहुत अच्छा बोले, तेज स्पीड से बोले, मल्होत्रा जी, आप इनको फॉलो कीजिए।

Deletion of Sanskrit from three language formula by CBSE

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभापति महोदया, सी.बी.एस.ई. ने जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, सितम्बर 1988 में नया पाठ्यक्रम घोषित करते हुए एक अत्यंत निंदनीय निर्णय के अनुसार संस्कृत भाषा को त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत पाठ्यक्रम से निकाल दिया। इससे देश भर में हजारों संस्कृत अध्यापकों की नौकरियां खत्म होने और लाखों विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के सौभाग्य से वंचित होने का खतरा पैदा हो गया था। उन्होंने यह कहा कि संविधान में लिखी हुई 18 भाषाओं में से, केवल संस्कृत को छोड़कर, बाकी 17 भाषाओं में से किन्हीं तीन भाषाओं को ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है:-

> "After hearing the learned counsel for the parties briefly, we are prima facie of the view that the subject of Sanskrit, which is one of the languages under Schedule 8 of the Constiution of India, should be included in the syllabus. The learned counsel for the Board has very